



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-05082020-220856
CG-DL-E-05082020-220856

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 385]
No. 385]

नई दिल्ली, बुधवार, अगस्त 5, 2020/श्रावण 14, 1942
NEW DELHI, WEDNESDAY, AUGUST 5, 2020/SRAVANA 14, 1942

इलेक्ट्रॉनिकी और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय अधिसूचना

नई दिल्ली, 5 अगस्त, 2020

सा.का.नि.490(अ).—आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18वां) की धारा 53 की उप-धारा (2) के खंड (कक) के साथ पठित धारा 53 की उप धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एतद्वारा भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण के परामर्श से निम्नलिखित नियम बनाती है: -

1. संक्षिप्त नाम और प्रवृत्त होना.— (1) ये नियम सुशासन के लिए आधार अधिप्रमाणन (समाज कल्याण, नवाचार, ज्ञान) नियमावली, 2020 कहलाएंगे।

(2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होंगे।

2. परिभाषाएँ.— इन नियमों में संदर्भ के अनुसार जब तक कि अन्यथा अपेक्षित न हो—

(क) "अधिनियम" से अभिप्रेत आधार (वित्तीय और अन्य सहायकियों, लाभों और सेवाओं का लक्षित परिदान) अधिनियम, 2016 (2016 का 18) है;

(ख) "प्राधिकरण" से अभिप्रेत अधिनियम की धारा 11 की उप-धारा (1) के तहत स्थापित भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण है;

(ग) इन नियमों में प्रयुक्त और परिभाषित न किये गए शब्दों और अभिव्यक्तियों का अर्थ अधिनियम या सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 (2000 का 21वां) में उनके लिए निर्धारित किया गया अर्थ ही होगा।

3. **आधार अधिप्रमाणन के प्रयोजन-** (1) केंद्र सरकार निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए सुशासन के हित में, सार्वजनिक निधियों के अपव्यय की रोकथाम, नागरिकों के जीवन की सहूलियत बढ़ाने और उनके लिए सेवाओं तक बेहतर पहुंच समर्थ करने लिए, अनुरोधकर्ता निकायों द्वारा आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दे सकती है, अर्थात्:-

(क) सुशासन सुनिश्चित करने के लिए डिजिटल प्लेटफार्मों का उपयोग;

(ख) सामाजिक कल्याण लाभों के अपव्यय की रोकथाम; तथा

(ग) नवोद्भव को समर्थ बनाना और ज्ञान का प्रसार करना।

(2) उप-नियम (1) के अंतर्गत आधार अधिप्रमाणन स्वैच्छिक आधार पर होगा।

4. **प्रस्ताव तैयार करना-** नियम 3 में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए आधार अधिप्रमाणन का उपयोग करने का इच्छुक भारत सरकार या राज्य सरकार का मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, ऐसे प्रस्ताव के बारे में औचित्य के साथ प्रस्ताव तैयार करेगा जिसके लिए आधार अधिप्रमाणन की मांग की गई है और इसे प्राधिकरण के संदर्भ के लिए केंद्र सरकार के समक्ष प्रस्तुत करेगा।

5. **प्रस्ताव की जांच-** नियम 4 के तहत प्रस्ताव प्राप्त होने पर, यदि प्राधिकरण संतुष्ट है कि प्रस्ताव नियम 3 में वर्णित प्रयोजनों और अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार है, तो यह केंद्र सरकार को सूचित करेगा कि अनुरोधकर्ता निकाय को आधार अधिप्रमाणन की अनुमति दी जाए और इसके बाद भारत सरकार या राज्य सरकार के मंत्रालय या विभाग, जैसा भी मामला हो, को केंद्र सरकार द्वारा इसे तदनुसार अधिसूचित करने के लिए प्राधिकृत किया जाए।

[फा.सं. 13(6)/2018-ईजी-II (वॉल्यूम- II)]

डॉ. राजेंद्र कुमार, अपर सचिव

MINISTRY OF ELECTRONICS AND INFORMATION TECHNOLOGY

NOTIFICATION

New Delhi, the 5th August, 2020

G.S.R.490(E).—In exercise of the powers conferred by sub – section (1) of section 53 read with clause (aa) of sub-section (2) of section 53 of the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016), the Central Government, in consultation with Unique Identification Authority of India, hereby makes the following rules, namely:—

1. **Short title and commencement.**— (1) These rules may be called the Aadhaar Authentication for Good Governance (Social Welfare, Innovation, Knowledge) Rules, 2020.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. **Definitions.**— In these rules, unless the context otherwise requires,—

(a) “Act” means the Aadhaar (Targeted Delivery of Financial and Other Subsidies, Benefits and Services) Act, 2016 (18 of 2016);

(b) “Authority” means the Unique Identification Authority of India established under sub-section (1) of section 11 of the Act;

(c) Words and expressions used and not defined in these rules shall have the same meaning assigned to them in the Act or in the Information Technology Act, 2000 (21 of 2000).

3. **Purposes for Aadhaar authentication.**— (1) The Central Government may allow Aadhaar authentication by requesting entities in the interest of good governance, preventing leakage of public funds, promoting ease of living of residents and enabling better access to services for them, for the following purposes, namely:—

- (a) usage of digital platforms to ensure good governance;
- (b) prevention of dissipation of social welfare benefits; and
- (c) enablement of innovation and the spread of knowledge.

(2) Aadhaar authentication under sub-rule (1) shall be on a voluntary basis.

4. **Preparation of proposal.**— The Ministry or the Department of the Government of India or the State Government, as the case may be, desirous of utilising Aadhaar authentication for a purpose specified in rule 3 shall prepare a proposal with justification in regard to such purpose for which Aadhaar authentication is sought and submit the same to the Central Government for making a reference to the Authority.

5. **Examination of proposal.**— On receipt of the proposal under rule 4, if the Authority is satisfied that the proposal is in accordance with the purposes mentioned in rule 3 and the provisions of the Act, it shall inform the Central Government that the requesting entity may be allowed to perform Aadhaar authentication and thereafter, the Ministry or the Department of the Government of India or the State Government, as the case may be, may be authorised by the Central Government to notify the same accordingly.

[F.No. 13(6)/2018-EG-II(Vol-II)]

Dr. RAJENDRA KUMAR, Addl. Secy.